भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र : देवनानी

युवा संसद में विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि देश के युवा जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करें

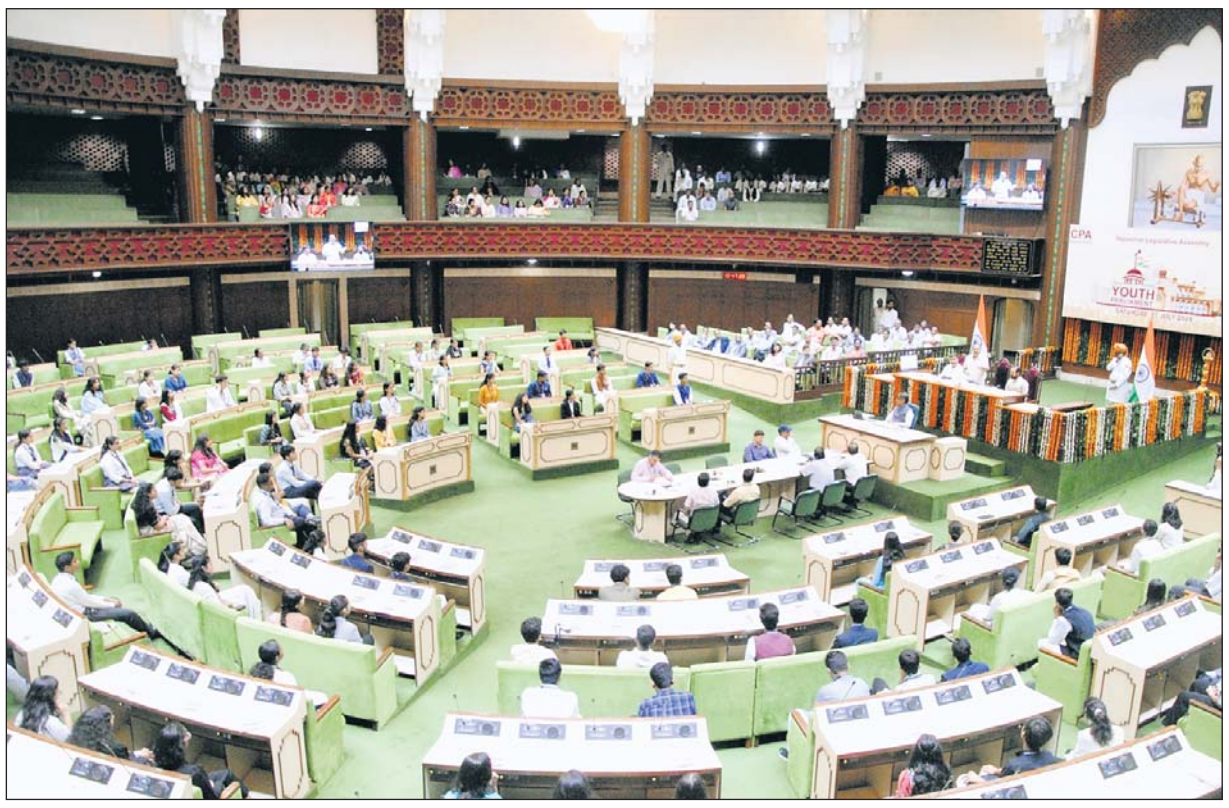

विधानसभा में शनिवार को राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से युवा संसद समारोह का आयोजन हुआ।

- 'वर्तमान में कई बार असंसदीय घटनाओं के कारण मन व्यथित होता है। असहनशीलता इसका प्रमुख कारण है'
- देवनानी की पहल पर युवाओं को हुआ विधानसभा का अनुभव

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को महान बनाने में यहाँ की समृद्ध संवैधानिक परम्पराए, नियम और प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में इस महान लोकतंत्र को इसी प्रकार जीवित रखने में देश के युवाओं का अहम योगदान होगा। विधानसभा में शनिवार को राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में आयोजित युवा संसद समारोह को स्पीकर देवनानी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही न्याय सभा तथा राज सभा के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही हैं। भारत के जन जन के मन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यवस्थाओं के प्रति गहरी आस्था है। उन्होंने युवा संसद में उपस्थित युवाओं का आव्हान किया कि इस संसदीय व्यवस्था में भागीदार बनकर इस महान लोकतंत्र में एक नयी ऊर्जा का संचार करें।

देवनानी ने कहा कि वर्तमान में कई बार असंसदीय घटनाओं के कारण मन व्यथित होता है। असहनशीलता इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने युवाओं को कहा कि सहनशील और शिक्षित बनकर वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा कार्य करते रहे।देवनानी ने कहा कि संविधान के आधार पर ही देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका कार्य करती है इसलिए देश के युवाओं को संविधान में अपनी गहरी आस्था रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवा जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करें। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में काम करें।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हमेशा दीन-दुखी, पिछड़े और गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करें और समाज में अंधकार और अशिक्षा को दूर करने में अपने तन-मन-धन से हर संभव सहयोग करें। उन्होंने स्वयं के शिक्षक रहते हुए अपने अनुभव साझा करते हुए सदन में उपस्थित विद्यार्थियों को कहा कि मन में जिज्ञासा और गुणात्मक कार्यों में हमेशा अपनी रूचि बनाये रखे।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के विकास, कानूनों की क्रियान्विति आदि का निर्धारण विधानसभा से ही होता है। इस पवित्र सदन में आना बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को कहा कि सदन में बैठकर यहाँ की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझकर एक जागरूक नागरिक बने। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के सीमित उपयोग और फेक न्यूज़ के प्रति जागरूक रहने को कहा। विधायक और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संदीप शर्मा ने समारोह में स्वागत और आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि संघ द्वारा आयोजित किये जा रहे युवा संसद कार्यक्रमों से युवाओं को लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं, दूसरे के विचारों का सम्मान और विधायिका के कामकाज को बारीकी से समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

कार्यक्रम में विधान सभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारीगण तथा एस.एम.एस विद्यालय के अध्यापकगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे गए एवं उनके द्वारा ही स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व मंत्री की भूमिका निभाई गयी। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में 20 जयपुर के और 21 राज्य के अन्य जिलों व राज्यों के विद्यालयों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

खट्टर आज जयपुर में केंद्रीय बजट की जानकारी देंगे

जयपुर। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि केंद्रीय बजट की जन कल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा की ओर से प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पर प्रेसवार्ता आयोजित की जा रही है। इस दौरान प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य सरकार के मंत्री और भाजपा प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आज अजमेर और कोटा संभाग मुख्यालय पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें अजमेर में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाना तथा कोटा में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ उर्जा मंत्री हीरालाल नागर और भाजपा उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने प्रेसवार्ता की।

भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने गुरुग्राम पहुँचकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा के दुःखद निधन पर उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों को ढांढस बंधाया।

पी.टी.आई.भर्ती परीक्षा में पास हुए पांच अभ्यर्थियों के खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज

- एस.ओ.जी. की जांच में डिग्रियां फर्जी निकलीं, डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास हुए।
- पी.टी.आई. को क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग के बेसिक नहीं पता।

जयपुर। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में पास हुए पांच अभ्यर्थियों पर एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। अब जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जांच में सामने आया कि इन पीटीआई ने डमी अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा पास की है। इनकी डिग्रियां भी फर्जी हैं। साथ ही इन्हें क्रिकेट बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बॉक्सिंग जैसे खेलों की बेसिक जानकारी भी नहीं है। इसके लिए एसओजी ने एक महीने से जांच कर रही थी। अब एसओजी ने जांच रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को सौंप दी है।

सूत्रों के अनुसार, एसओजी की जांच में सामने आया है कि पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में पास हुए अभ्यर्थियों के पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड) की सामान्य डिग्री तक नहीं है। आरोपियों ने फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी हासिल की है। एसओजी द्वारा की गई जांच में अब तक पांच पीटीआई के खिलाफ मिली शिकायत की पुष्टि हो चुकी है।

सूत्रों के अनुसार, एसओजी की जांच में सामने आया है कि इन पांच पीटीआई को बेसिक गेम क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बॉक्सिंग के यार्ड की जानकारी भी नहीं है। दो पीटीआई को टी-20 क्रिकेट मैच और टैस्ट मैच के बेसिक क्लियर नहीं हैं। क्रिकेट बॉल की मोटाई पूछने पर एक पीटीआई ने तो हाथ से इशारा करके बता दिया कि इतनी मोटी होती है।

एसओजी का कहना है कि राजस्थान स्टाफ सलेक्शन बोर्ड की ओर से शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा का आयोजन 25 सितम्बर 2023 को हुआ था। इस परीक्षा में बड़ी संख्या संख्या में डमी अभ्यर्थी बैठे। इनके कारण बड़ी संख्या में अयोग्य लोग राजस्थान सरकार के सरकारी स्कूलों में पीटीआई लग गए। पेपर लीक के आरोपियों की परीक्षा के दिन की मोबाइल लोकेशन चैक की गई। उनकी लोकेशन सेंटर के आसपास की नहीं मिली। ये लोग सेंटर ही नहीं जिले से भी बाहर थे।

एसओजी को हेल्पलाइन नम्बर से अलवर जिले में तैनात सरकारी स्कूल के पीटीआई के बारे में भी जानकारी मिली है। अलवर में लगे हुए कुछ पीटीआई भी इसी प्रकार से परीक्षा पास करके नौकरी पर लगे हैं। एसओजी ने उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने पर उन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एसओजी के अनुसार, जांच में पुष्टि होने के बाद पांच पीटीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसओजी को उनके खिलाफ शिकायत मिली है। उनकी जांच चल रही है। इन लोगों से जल्द पूछताछ कर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। संबंधित जिला एसपी और हमारी यूनिट को एक्टिव कर दिया गया हैं।

सूत्रों के अनुसार जोधपुर के बिलाड़ा में रहने वाले महेन्द्र कुमार बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महेन्द्र का सेंटर शास्त्री नगर स्थित टैगोर विद्या भवन में था। आरोप है कि महेन्द्र ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास की। जब आरोपी से बीपीएड का सर्टिफिकेट मांगा गया तो आरोपी ने अमरावती विवि से बीपीएड की फर्जी डिग्री दे कर नौकरी ले ली। वहीं श्रवण सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। श्रवण सिंह का सेंटर मुरलीपुरा में शहीद मेजर योगेश अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया था। उसने अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बिठा कर परीक्षा पास की और पीटीआई बन गया। आरोपी ने एकलव्य यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से बीपीएड की डिग्री लगाई, जो फर्जी निकली।

सांचोर के रहने वाले मनोहर लाल का जयपुर के मुरलीपुरा में सेंटर आया था। उसकी जगह डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। शिकायत मिलने के बाद अभ्यर्थी मनोहर लाल के दस्तावेजों की जांच की। जांच में आवेदन पत्र, परीक्षा प्रवेश पत्र और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त बीपीएड की डिग्री फर्जी पाई। जालोर के सायला का रहने वाले ईश्वर सिंह का परीक्षा केंद्र मुरलीपुरा के प्रिंस स्कूल में आया था। उसकी जगह डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। ओपीजेएस विश्वविधालय में बीपीएड सत्र 2018-20 अभ्यर्थी ईश्वर सिंह का नाम नहीं मिला। उसने शारीरिक शिक्षक की नौकरी बैक डेट में फर्जी तरीके से ओपीजेएस विश्वविधालय की डिग्री और मार्कशीट से प्राप्त की है। सांचोर के रहने वाले सुरेश कुमार का परीक्षा केंद्र महात्मा गांधी स्कूल में आया था। सुरेश के स्थान पर डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। सुरेश कुमार ने जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) से बीपीएड की डिग्री प्राप्त की थी। आवेदन पत्र में बीपीएड उत्तीर्ण करने का साल 2021 अंकित किया गया है। वहीं, जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद द्वारा जारी मॉर्कशीट में चौथे सेमेस्टर का परिणाम 23 सितम्बर 2022 को जारी होना बताया है। इस प्रकार फर्जी डिग्री प्राप्त की गयी थी।

सुमेल एनीकट के अति.जल भराव की समस्या के निस्तारण के लिए क्या कर रही है सरकार?

- अदालत ने मामले में मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि गंगापुर सिटी के पास सुमेल नदी पर बने एनीकट के अतिरिक्त जल भराव से स्थानीय निवासियों को हो रही समस्या के निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश भरत सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जनहित याचिका में अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमावत लांबा ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत सुमेल नदी पर एनीकट का निर्माण किया गया है। एनीकट के सर्वेक्षण और निर्माण के दौरान प्रशासन की ओर से यह बताया गया था कि इसकी भराव क्षमता 46.20 एमसीटी रहेगी और इसका जल भराव क्षेत्र बामन बड़ौदा की संपर्क रोड के पुल के स्तर तक रहेगा। जबकि नौगांवा इसके अपस्ट्रीम में रहेगा। वहीं एनीकट की दोषपूर्ण डिजाइन और गलत निर्माण के कारण इसका जलमग्न एरिया 46.20 से करीब चार गुणा बढकर 184 एमसीटी हो गया। इसके अलावा अपस्ट्रीम एरिया से पांच किलोमीटर आगे तक जलभराव हो रहा है। जिसके कारण नौगांवा, बिदरखा, बामन बड़ौदा सहित आसपास के गांवों के निवासियों के खेतों और मकानों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की भूमि को डूब क्षेत्र के उद्देश्य से न तो अधिग्रहित किया गया और ना ही उन्हें कोई मुआवजा मिला। वहीं हर मौसम में जलभराव होने के कारण खेतों में फसल की पैदावार खराब हो रही है, लेकिन उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया। यहां हो रहे जलभराव के कारण उन्हें जीवन यापन में कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को इन्हीं स्कूलों के रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए उनके ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है। वहीं अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश गजानंद यादव व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए गत 11 जुलाई को भर्ती विज्ञापन निकाला। जिसमें यह शर्त रखी गई कि विशेष चयन प्रक्रिया से चयन के बाद अंग्रेजी माध्यम में पदस्थापित शिक्षक इसमें आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही दूसरे जिलों में कार्यरत हैं।

वकील को केस की फाइल नहीं देने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वन विभाग के कर्मचारी के चयनित वेतनमान नहीं देने से जुड़े मामले में सरकारी वकील के पास फाइल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य वन सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह 29 जुलाई को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना शपथ पत्र पेश करें। अदालत ने एसीएस को कहा है कि शपथ पत्र में बताए प्रकरण की सरकारी वकील को फाइल नहीं देने के क्या कारण हैं। इसके अलावा इसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश राम प्रसाद मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें प्रकरण की फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में वे प्रकरण में बहस नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें चार सप्ताह का समय दिया जाए। वहीं याचिकाकर्ता के वकील विजय पाठक ने कहा कि गत सुनवाई को भी इसी आधार पर तारीख ली गई थी। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट में रोजाना वन विभाग के ऐसे कई केस आ रहे हैं, जिनमें विभाग के वकील को प्रकरण की फाइल ही मुहैया नहीं कराई गई है। जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। इस मामले में भी पूर्व में सरकारी वकील को फाइल नहीं होने के आधार पर बहस के लिए समय दिया गया था, लेकिन अभी तक उनके पास फाइल नहीं पहुंची है। ऐसे में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व्यक्तिशः या वीसी के जरिए हाजिर होकर इस संबंध में शपथ पत्र पेश कर सरकारी वकील को फाइल नहीं पहुंचाने के कारण और इसके दोषी अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी अदालत में पेश करें।

'आवंटी बिल्डर से जमा राशि वापस लेने का अधिकारी'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट व ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिना प्रोजेक्ट व बिल्डिंग के निर्माण को पूरा नहीं माना जा सकता। यदि बिल्डर ने ये सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए हैं तो ऐसी स्थिति में आवंटी बिल्डर से अपनी जमा राशि वापस लेने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही अधिकरण ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह अपीलार्थी को उसकी जमा राशि 45 दिन में ब्याज सहित लौटाए। अधिकरण ने यह आदेश आवंटी कैलाश गुप्ता की अपील को मंजूर करते हुए और सिक्विन रियल एस्टेट की अपील को दस हजार रुपए हर्जाने सहित खारिज करते हुए दिया। अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि अपीलार्थी बिल्डर ने वर्ष 2006 में स्टार सिटी के नाम से एक आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किया।

व्याख्याता से रिकवरी पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर स्कूल व्याख्याता को सेवाकाल के दौरान दिए वेतन को अधिक भुगतान देना बताकर उसकी पेंशन से राशि की रिकवरी करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य स्कूल शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, पेंशन निदेशक और डीईओ सीकर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने विभाग के रिकवरी आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मदनलाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर फुट के विशेषज्ञ अब कोलकाता के तकनीशियनों को प्रशिक्षित करेंगे

भारत सरकार के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएबिलिटी और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के बीच एक एम.ओ.यू. पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएबिलिटी के निदेशक डॉ. ललित नारायण और बी.एम.वी.एस.एस. के सचिव डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता मौजूद रहे।

जयपुर, (का.सं.)। भारत सरकार के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएबिलिटी और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के बीच एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। इस एम.ओ.यू. के अन्तर्गत दोनों संस्थाएँ आपसी सहयोग से कोलकत्ता स्थित इस राष्ट्रीय शारीरिक गतिशील द्विव्यांगजन संस्थान के तकनीशियनों के बी.एम.वी.एस.एस. के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित करेगा।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएबिलिटी (एन.आई.एल.डी.) के निदेशक डॉ. ललित नारायण और बी.एम.वी.एस.एस. के सचिव (तकनिकी) डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता, सचिव भूपेन्द्र राज मेहता, बी.एम.वी.एस.एस. के तकनिकी परामर्शदाता डॉ. एम.के. माथुर और एन.आई.एल.डी. के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रसन्ना लेंका भी उपस्थित थे। एन.आई.एल.डी. केन्द्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्विव्यांगों के पुर्नवास विभाग के अन्तर्गत कोलकत्ता के बोनहुगली स्थित संस्था है।

सचिव डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने बताया कि एन.आई.एल.डी. और बी.एम.वी.एस.एस. के बीच आपसी सहयोग के अन्तर्गत दोनों संस्थाऐं द्विव्यांगों के पुर्नवास के लिए प्रशिक्षण और अन्वेषण कार्य करेगा और एन.आई.एल.डी. के प्रशिक्षुओं को जयपुर फुट की निर्माण संस्था प्रशिक्षित करेगी। बी.एम.वी.एस.एस. एन.आई.एल.डी. के अपने एक केन्द्र की स्थापना कर प्रशिक्षण कार्य चलाएगी और इसके अन्तर्गत जयपुर फुट और अन्य उपकरणों के निर्माण की विधि का प्रशिक्षण देगा। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत एन.आई.एल.डी. में द्विव्यांगजनों को जयपुर फुट और अन्य उपकरण उपलब्ध किए जाऐंगे, जिससे पश्चिम बंगाल और पूर्व भारत के बड़ी संख्या में द्विव्यांगजन लाभान्वित होंगे।

बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने कहा कि एन.आई.एल.डी. से अनुबन्ध से जयपुर फुट की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी का विस्तार होगा, जिसका लाभ देश भर के द्विव्यांगों को विशेष कर पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों के द्विव्यांगों को मिलेगा। एन.आई.एल.डी. के निदेशक डॉ. ललित नारायण ने कहा कि इस एम.ओ.यू. के अन्तर्गत अब द्विव्यांगों को एन.आई.एल.डी. के माध्यम से जयपुर फुट लगाकर उनका पुर्नवास किया जा सकेगा।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/618 दिनांक-26/7/24
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 35/74, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 102.550 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री जुम्मा पुत्र श्री कमरूदीन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 1224 दिनांक 03.02.1986 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 10.03.1986 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र कमांक 4821 दिनांक 29.11.1999 के द्वारा श्री प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 31.03.2000 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री प्रकाश गुप्ता की मृत्यु दिनांक 01.03.2024 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्री मोहक खण्डेलवाल पुत्र श्री रवि गुप्ता ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री मोहक खण्डेलवाल पुत्र श्री रवि गुप्ता के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त द्वितीय, जयपुर

लिविंग रिलेशनशीप नं.427 (रजि.) दिनांक 06.06.2024 को निरस्त करने बारे।
निशा महावर पुत्री ईश्वर सिंह, जाति कोली निवासी नमक कटरा कमला रोड, भरतपुर (राज.)
---प्रथम पक्ष
कार्तिक पुत्र विजेन्द्र सिंह, जाति जाट निवासी 1446, बहरोड रोड, वी.टी.सी. पोस्ट व तहसील जा.चौधरी, जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
---द्वितीय पक्ष
यह कि दोनों पक्षकारान के बीच में आपसी संबंध व रिश्ता बनाए रखने के लिए एक लिविंग रिलेशनशीप दस्तावेज बनवाया व रजिस्ट्रर करवाया था जो कि रजिस्ट्रर्ड संख्या 427 है व दिनांक 6.6.24 को भरतपुर (राज.) में तैयार करवाया था। अब द्वितीय पक्ष इस लिविंग रिलेशनशीप को निरस्त करता है। और भविष्य में इस दस्तावेज के तहत प्रथम पक्ष द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
Pardeepp Kumaar, Advocate
Enrol P/3257/2008
Distt. & Session Court Namaul (HR)
Mob.- 9416451093

आम सूचना/ घोषणा
सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि हमारी साझेदारी फर्म मैसर्स श्री वंकल सोलर पावर प्लांट गोरो का तला, धनाऊ, जिला- बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। फर्म की एक साझेदार फुई देवी (कर्ता-HUF) दिनांक 18.03.2024 ने निवृत (रिटायर) हो गई है तथा श्री धर्मेन्द्र सिंह निवासी जयपुर को नए भागीदार के रूप में 18.03.2024 से लिया गया है। दिनाक 18.03.2024 के बाद, निवर्तमान भागीदार का फर्म से कोई लेना देना नही रहेगा। सूचित रहे।
तिलोकराम, पार्टनर
श्री वंकल सोलर पावर प्लांट

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
नाम न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय करौली
रामजीलाल वगै. विरूद्ध शिवकुमार वगै.
अपील नियमित दी अपील
अपील नं.CAR No. 22/2024 सन् 29/2024
अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करौली के न्यायालय की डिक्री दिनांक 26/03/2024 की अपील (1) शिवकुमार (2) सत्यप्रकाश (3) राकेश पुत्रान स्व.चिरंजी (4) श्रीमती रतनी पत्नी स्व.चिरंजी नि. वास मण्डावरा (कुडगाँव) तह.सपोटरा जिला करौली (5) श्यामलाल (6) गोविन्द पुत्रान स्व.बीरबल नि. वासमण्डावरा (कुडगाँव) तह.सपोटरा जिला-करौली
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में अपीलार्थी को डिक्री की जिसकी नकल अदालत में दी जायेगी द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिये इस न्यायालय द्वारा ता. 20 माह 08 सन् 2024 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जावेगी।
यह आज तारीख 19 माह 07 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
पारिवारिक न्यायाधीश करौली